तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **ग्यारसा बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण** **प्रार्थना पत्र संख्या** 2023/84	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उनकी बहस प्रार्थना पत्र धारा 151 जाप्ता दीवानी पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 151 के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि दिनांक 08.04.2002 को प्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कही भी बाहमी राजीनामा किस आशय का, किन शर्तो पर एवं किन–किन पक्षकारान के मध्य निष्पादित हुआ, उसका कही भी अंकन नही है जो कि अपील विड्रा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु आज्ञापक दस्तावेज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर आदेश दिनांक 08.04.2002 रिकॉल किये जाने योग्य है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि दिनांक 08.04.2002 की आदेशिका में कही भी प्रार्थीगण के पिता ग्यारसा पुत्र कालू की पहचान नही है। विड्रा प्रार्थना पत्र में यह कानूनन आवश्यक है कि उक्त अपील नही चलाये जाने का प्रार्थना पत्र के पक्षकार को उसके अधिवक्ता द्वारा पहचान किया जाना आवश्यक है। उक्त अपील में ग्यारसा की पहचान किसी भी अधिवक्ता द्वारा नही की गई। इसलिये भी न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2002 को रिकॉल किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि आदेश–23 नियम–3 सी.पी.सी के अनुसार वाद में समझौता ''जहॉ न्यायालय को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर दिया जाता है कि वाद (पक्षकारों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित किसी विधि पूर्ण करार या समझौते के द्वारा) पूर्णतः या भागतः समायोजित किया जा चुका है या जहां प्रतिवादी वाद की पूरी विषय–वस्तु के या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में वादी की तृष्टि कर देता है वहां न्यायालय ऐसे करार, समझौते या तुष्टि के अभिलिखित किये जाने का आदेश करेगा और (जहां तक कि वह वाद के पक्षकरों से संबंधित है, चाहे करार, समझौता या तुष्टि विषय–वस्तु वही हो या न हो तो कि वाद की विषय–वस्तु है वहां तक तदनुसार डिक्री पारित करेगा'') इस प्रकार स्पष्ट है कि कानूनन कोई राजीनामा होने पर न्यायालय को आदेश–23 नियम–3 सी.पी.सी के तहत ऐसे राजीनामा/समझौते की दशा में न्यायालय पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही आदेश–23 नियम–3 सी.पी.सी. के तहत न्यायालय डिक्री पारित करेगा लेकिन दिनांक 08.04.2002 को पारित आदेश में ऐसा कोई कथन अभिलिखित नही है। केवल मात्र बाहमी राजीनामा होने का अंकन के आधार पर अपील नही चलाये जाने के आधार पर आदेश पारित किये गये है। इसलिये उक्त आदेश को रिकॉल किया जाना आवश्यक है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पीटीशन नम्बर 18102/2016 पेश की गई, जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2018 को निर्णय पारित कर प्रार्थीगण को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रस्तुत अपील के आदेश दिनांक 08.04.2002 उनवानी ग्यारसा बनाम जेडीए को रिवाईव करने बाबत प्रार्थना पेश करने की लिबर्टी दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई लिबर्टी के अनुसरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी. सी. न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 13.11.2019 के द्वारा खारिज	

समायोट आयुक्त
जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **ग्यारसा बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण** **प्रार्थना पत्र संख्या 2023/ 84**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किये जाने के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश दिनांक 13.11.2019 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के समक्ष निगरानी दायर किये जाने पर राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 31.01.2023 के द्वारा न्यायालय श्रीमान् का आदेश दिनांक 13.11.2019 को खारिज किया जाकर प्रकरण न्यायालय श्रीमान् को रिमाण्ड किया गया है। साथ ही उन्होने यह भी कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान् के समक्ष एक अन्य अपील संख्या 2024/517 उनवान भारत भवन निर्माण सहकारी समिति बनाम कैलाश चन्द व अन्य विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय श्रीमान् का बउनवानी अपील ग्यारसा बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 08.04.2002 को रिकॉल करने के आदेश पारित फरमाये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने कथन किया है कि पूर्व में प्रार्थी ग्यारसा की ओर से वादग्रस्त भूमि के 90बी आदेश दिनांक 07.08.2000 के विरूद्ध एक अपील संख्या 75/2000 बउनवानी ग्यारसा बनाम जेडीए व अन्य के नाम से प्रस्तुत की गई थी, जो ग्यारसा द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08.04.2002 को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त अपील को विड्रो कर ली गई। जिसके आधार पर उक्त अपील फैसल शुमार होकर उसका अंतिम निर्णय हो गया और वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जेडीए द्वारा धारा 90बी भू राजस्व अधिनियम के तहत किया गया आदेश दिनांक 07.08.2000 के निर्णय की पुष्टि की गई। अब उक्त आदेश दिनांक 07.08.2000 को रिव्यू करने हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि विधि अनुसार एक बार प्रकरण का निर्णय होने के बाद धारा 11 जाप्ता दीवानी के अनुसार पुनः उसी प्रकरण के सम्बन्ध में सुनवाई किये जाने का विधि में प्रावधान ही नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि के नामान्तरकरण के विरूद्ध ग्यारसा द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 08.04.2002 के विरूद्ध एक अन्य अपील संख्या 125/2006 मूलचन्द मीना बनाम भारत भवन निर्माण सहकारी समिति व अन्य के नाम से प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के नामान्तरकरण आदेश दिनांक 07.08.2000 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया था। जो न्यायालय श्रीमान् ने अपने आदेश दिनांक 26.12.2008 के द्वारा खारिज कर दिया तथा धारा 11 जाप्ता दीवानी के अनुसार एक प्रकरण का निर्णय एक बार ही होने का विधि में प्रावधान है, परन्तु प्रार्थी ग्यारसा की मृत्यु के बाद उसके वारिसों द्वारा उपरोक्त उनवानी अपील को विड्रो के आधार पर खारिज होने के आदेश दिनांक 08.04.2002 को रिकॉल करने हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी.खारिज फरमाया जावें।

माननीय आयुक्त
जयपुर

हमने अधिवक्ता उभयपाक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में वर्तमान समय में न्यायालय हाजा के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **ग्यारसा बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण** **प्रार्थना पत्र संख्या 2023/84**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

समक्ष एक अन्य अपील संख्या 2024/517 बउनवानी भारत भवन निर्माण सहकारी समिति बनाम कैलाश चन्द व अन्य, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत की हुई, जो वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त विचाराधीन अपील एवं बउनवानी अपील ग्यारसा बनाम जेडीए में भूमि विवादग्रस्त एक ही होने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.02.2018 द्वारा प्रार्थीगण को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 08.04.2002 को रिकॉल करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की लिबर्टी भी दी गई एवं बउनवानी ग्यारसा बनाम जेडीए में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 08.04.2002 के द्वारा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण भी नही हुआ है। ऐसी स्थिति में न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के अनुसरण में प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जाने के तथ्य एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने के तथ्य के मद्देनजर न्यायालय हाजा द्वारा ग्यारसा बनाम जेडीए में पारित आदेश दिनांक 08.04.2002 को प्रत्याहारित (Recall) किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा बउनवानी अपील ग्यारसा बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में पारित आदेश दिनांक 08.04.2002 को प्रत्याहारित (Recall) किया जाता है। मूल अपील पुनः नम्बर पर ली जाकर भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में विचाराधीन अन्य अपील संख्या 2024/517 बउनवानी भारत भवन निर्माण सहकारी समिति बनाम कैलाश चन्द व अन्य के साथ दिनांक 18.11.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हो। हस्तगत पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा हमफिता मूल अपील रहे। आदेश सुनाया गया।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।